(1)

CENTRALIZED FILLING CO[illegible]
CIVIL COURT SOHAGPUR
Case No. RCT/201/22
Filing No. RCT/560/22
CNR No. MP0508000718622

ORDER SHEET

[T]HE COURT ....

....

शासन वि० कैलाश अहिरवार

[Date of] order or [proc]eeding	Order or proceeding with Signature or Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
1.10.2022	आरक्षी केन्द्र सोहागपुर के आरक्षक सार्जेंट क्रमांक 620 द्वारा अपराध क्रमांक 474/2022 अंतर्गत धारा 294, 323, 506 भा.द.वि. भादवि निम्नलिखित आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया आरोपी : कैलाश S/o लखनलाल अहिरवार उम्र 33 साल निवासी सुभाषवार्ड सोहागपुर अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए धारा 41 दप्रस के अंतर्गत सूचना पत्र दिया गया है एवं उसको गिरफ्तार न करने का कारण सूचना पत्र में उल्लेखित है जो अंकित होकर सूचना पत्र भी प्रकरण में संलग्न है । सूची अनुसार अभियोग पत्र के साथ 17 पलख प्रमाण पेश किये गये प्रस्तुतकार प्रवर्तन लिपिक सूची अनुसार पलेखों का मिलान कर तत्संबंधी प्रतिवेदन अंकित करे। प्रकरण में अभियुक्त/गण के विरूद्ध धारा 190 दप्रस के तहत संज्ञान लिया जाता है । प्रकरण केंद्रीय आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध किया जावे । प्रकरण में अभियुक्त को धारा 207 दप्रस. के तहत अभियोग पत्र व अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज की नकलें प्रदान की गई । अभियुक्त/गण सहित श्री शेरखान अधिवक्ता मेमो पेश कर उपस्थित । अभियुक्त के विरूद्ध जो अपराध है वह जमानतीय अपराध है अतः आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त की ओर से धारा 437 (3) दप्रस की शर्तों के अधीन में रूपये 10,000/- रूपये की जमानत एवं इतनी ही राशि का मुचलका धारा 437 3 दप्रस. के पालन में प्रस्तुत किया जाये तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे प्रकरण में सम्पत्ति पेश/नहीं है जिसे सुरक्षार्थ विधिवत रूप से मालखाना में जमा कर संपत्ति ज्ञापन प्रकरण के साथ संलग्न किया जावे। प्रकरण आरोप तर्क हेतु दिनांक .... को प्रस्तुत हो । (कु. मधुलिका मुले) न्या.म.प्र.श्रेणी सोहागपुर	[signature] [signature]

पुनश्चः–

प्रकरण के फरियादी टीकाराम ने उपस्थित होकर व्यक्त किया कि प्रकरण में राजीनामा की संभावना है। अतः प्रकरण के अवलोकन उपरांत प्रकरण मध्यस्थता हेतु रेफर किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में पृथक से रेफरल आदेश पारित कर प्रकरण मध्यस्थता हेतु रेफर किया जावे।

प्रकरण मध्यस्थता रिपोर्ट हेतु चायकाल बाद पेश हो।

(कु0मधुलिका मुले)
न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी,सोहागपुर

पुनश्चः–

मध्यस्थता प्रतिवेदन इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि उभयपक्ष के मध्य मध्यस्थता कार्यवाही सफल रही।

फरियादी टीकाराम द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 320(2) दं.प्रं.सं. का इस आशय का पेश किया कि उनका आरोपी से राजीनामा हो गया है, जिससे उनके संबंध मधुर हो गये हैं और आपस में राजीनामा करना व्यक्त किया।

फरियादी/आहत की पहचान श्री शेरखान अधिवक्ता द्वारा की गई।

प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे प्रकट होता है कि आरोपी के विरूद्ध भा.दं.स. की धारा 294, 323, 506 का अभियोग है, जो कि शमनीय प्रकृति का है।

फरियादी/आहत और आरोपी भाई भाई है और उनके मध्य के विवाद का आपसी सहमति से सदभावपूर्वक निपटारा हो गया है और उनके मध्य मधुर संबंध स्थापित हो गये है। अतः उनके मध्य मधुर संबंधों को कायम करने के लिए को धारा 294, 323, 506 भा.दं.सं. के अपराध में शमन करने की अनुमति दिया जाना उचित प्रतीत होता है। उभयपक्ष नें संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित राजीनामा पेश किया। पढ़कर सुनाये जाने पर उभयपक्ष ने सहमति व्यक्त की।

राजीनामा की वैधानिकता के संबंध में न्यायालय संतुष्ट हो चुकी है। प्रस्तुत राजीनामा किसी लोकनीति या विधि के विरूद्ध प्रतीत नहीं होता। अतः राजीनामा स्वीकार कर आरोपी ~~रामसिंह व सरजूबाई~~ को भा.दं.सं की धारा 294, 323, 506 के आरोप से उन्मोचित किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

(कु0मधुलिका मुले)
न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी, सोहागपुर

MADHULIKA MULEY

Digitally signed by MADHULIKA MULEY
Date: 2022.10.20 12:17:49 +0530